

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू ~~चाकसू~~.....

क्रमांक: राजस्व/2022/

दिनांक / / 2022

16/10/22

आदेश

आवेदक श्री जेन्धी लाल पुत्र हजारी स्थित आराजी तहसील कोटखावदा में ग्राम मुन्दोईडी के संबंध में जमाबन्दी ख.न. रकबा के खाता संख्या 46, 47, 49 पर अंकित प्रविष्टि संवत् 2015-18 के खाता संख्या 46, 47, 49 पर अंकित प्रविष्टि दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम मुन्दोईडी की जमाबन्दी के खाता संख्या 46, 47, 49 की प्रविष्टि के स्थान पर जेन्धी लाल पुत्र हजारी किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंभा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी हल्का मुन्दोईडी की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा की अभिशंभा के आधार पर प्रार्थी श्री जेन्धी लाल पुत्र हजारी जाति हजारी निवासी मुन्दोईडी तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी संवत् 2015-2018 के खाता संख्या 46, 47, 49 में अंकित प्रविष्टि जेन्धी लाल पुत्र हजारी के स्थान पर जेन्धी लाल पुत्र हजारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)
दिनांक : 05/01/2022

क्रमांक: राजस्व/2022/223

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार कोटखावदा
2. पटवारी हल्का

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)